न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 04/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेश बंसल प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री कैलाश चन्द यादव पुत्र श्री धन्नालाल यादव, निवासी ग्राम पंचायत महला, तहसील दूदू।

4. निर्णय दिनांक : 01.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री आर.एस. यादव अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, दूदू श्री राजेश बंसल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मय फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि दिनांक 10.09.2010 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2010 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के मैसर्स कैलाश चन्द यादव उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत महलां, लखेरों का मोहल्ला, तहसील दूदू के यहां उपभोक्ता दिवसों के दौरान दुकान की जांच हेतु पंहुचा। मौके पर श्री कैलाश चन्द यादव पुत्र श्री धन्नालाल यादव उचित मूल्य दुकानदार मय रिकार्ड उपस्थित पाये गये। मौके पर दुकान के बाहर मूल्य सूची स्टॉक बोर्ड एवं अन्य सूचनाओं का प्रदर्शन नियमानुसार नहीं पाया गया। वक्त जांच रिकॉर्ड अनुसार 588 लीटर केरोसीन स्टॉक में होना उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार 60 लीटर नीला केरोसीन अधिक स्टॉक में पाया गया। अधिक स्टॉक बाबत दुकानदार द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जिससे प्रथत दृष्टया यह पाया गया कि उक्त केरोसीन दुकानदार द्वारा कालाबाजारी हेतु बचाकर रखा गया है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त 60 लीटर नीला केरोसीन को जब्त सरकार कर श्री ओमप्रकाश मीणा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत महलां तह. दूदू की सुपुर्दगी में दिया गया। जिसकी फर्द मौका, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगी रुबरु मौतबिरान अलग से तैयार की गई। अतः जब्त शुदा 60 लीटर केरोसीन को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने एवं जब्त केरोसीन ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त केरोसीन ज्वलनशील, क्षयशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के तहत आदेश दिनांक 10.09.2010 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त केरोसीन का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस.यादव ने दिनांक 30–08–2011 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी की ओर जरिये अभिभाषक जवाब पेश किया, जिसमें अंकित किया है कि दिनांक 19.08.2010 को ग्राम महलां में अचानक अत्यधिक बारिश हो जाने से ग्राम महलां में बाढ की स्थिति बन गयी थी। बाढ से ग्राम का जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो गया था। उसके बावजूद प्रार्थी ने उचित मूल्य की दुकान को तारीख 20.08.2010 को बारिश होते हुए भी खोलकर केरोसीन वितरण किया एवं बाहर लिखे स्टॉक बोर्ड पर भी चॉक से मूल्य सूची

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

एवं स्टॉक लिखा, जो बारिश से धुल जाने के कारण साफ हो जाना पाया गया। भविष्य में आगे ऐसा नहीं पाया जावेगा। प्रार्थी ने श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन किया है कि उक्त 60 लीटर नीला केरोसीन कालाबाजारी के लिए नहीं रखा गया था। प्रार्थी ने दिनांक 20.08.2010 को उपभोक्ताओं के 20 राशन कार्ड केरोसीन वितरण के लिए बिक्री रजिस्टर में इन्द्राज कर लिए थे। वापिस बारिश होने की सम्भावना से उपभोक्ता राशन इन्द्राज करने को कह कर अपने घर चले गये थे और दूसरे दिन 21.08.2010 को केरोसीन लेना स्वीकार कर लिया था। प्रार्थी ने उक्त समस्त राशन उपभोक्ताओं के हस्ताक्षरित बयान जो कि प्रार्थी के पक्ष में है पेश किये हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध जारी किया गया नोटिस विड्रा किया जाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त फरमायी जाये।

4. पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

5. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसंद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से काम में लिये जा रहे केरोसीन के संबंध में दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं है ना ही इस संबंध में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से केरोसीन का उपयोग एवं भण्डारण करना राजस्थान अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 60 लीटर केरोसीन को राजसात (Confiscate) करने एवं 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे।

7. हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन तथा पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कि अप्रार्थी के पास जब्त अवैध केरोसीन के संधारण हेतु कोई सम्यक अनुमति और दस्तावेज नहीं हैं तथा 60 लीटर केरोसीन वैध होने का कोई आधार भी नहीं है। इसमें अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से केरोसीन का भण्डारण एवं क्रय–विक्रय करने की बात पुष्ट होती है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है और दिनांक 20.08.2010 को जब्त 60 लीटर केरोसीन को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वह राजसात किये गये 60 लीटर केरोसीन का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर